कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 5057 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, जून, 27, 2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
,उ0प्र0 लखनऊ ।

विषयः– जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या–यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567हे0 अरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या–08बी / यू0पी0 / 06 / 03 / 2024 / एफ0सी0 / 11 दिनांक–02.04.2024, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक–3153 / 11–सी दिनांक–03.04.2024,

महोदय,

विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त 03 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाते हुए, आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर, सूचना / अभिलेख उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया है। जिसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 3159 / ओबरा / 15 भू0ह0 / दिनांक 20.06.2024 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचना / अभिलेख आन लाईन परिवेश–2 पोर्टल पर अपलोड कर निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

क0 सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल ,सेक्टर–एच0 अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या– 8बी / यू0पी0 / 06 / 03 / 2024 / एफ0सी0 / 11 दिनांक–02.04.2024 द्वारा की गयी आपत्ति।	निराकरण / आख्या
1	Cross-section layout map with mentioning existing and proposed RoW needs to be submitted,	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा ले–आउट मैप की कापी संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–1)**
2	It appears that in some stretches a parallel road is existing. Alignment needs to be modified to utilize the existing road.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित के0एम0एल0 फाइल ऑनलाइन अपलोड करते हुए ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है।
3	Since proposed Non-Forest Land (NFL) for CA falls in Wild Life Sanctuary (WLS), comments of Chief Wildlife Warden (CWLW) are	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–4004 / 33–1 दिनांक–06.06.2024 **(छायाप्रति संलग्न है, संग्नक–2)** द्वारा अवगत कराया गया है कि "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित के0एम0एल0 के अनुसार

	required to ascertain that the CA scheme is in accordance with prescriptions of management plan.	प्रस्तावित गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटीव जोन की सीमा से बाहर है।"

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

सख्या— 5057/अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर